विज्ञप्ति -

234/2019/221

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रमेशचन्द V/S मोहनलाल

तारीख पेशी	2019/UD224 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सुमीत जैन श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
28.7.22	रमेश चन्द बनाम मोहन लाल वगैरह यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् अपील विड्रो फरमाने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कथन किया कि अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है एवं पक्षकार जिस तरह से मौके पर काबिज है उसी अनुसार भविष्य में भी काबिज रहेगें। जिससे बाबत् सभी पक्षकारान के मध्य बंटवारानामा/परिवारिक समझौता प्रलेख दिनांक 27.07.2022 को निष्पादित किया जा चुका है जिसकी प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस कारण प्रार्थी अब उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है और न ही अपील में किसी प्रकार की कोई आगे कार्यवाही चाहता है एवं अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को प्रार्थी द्वारा आगे नही चलाने जाने के कारण जरिये विड्रोल फरमाई जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चला कर, अपील को विड्रोल में खारिज करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने से एवं विड्रोल किए जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	